राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

माघ 3, सोमवार, शाके 1938–जनवरी 23, 2017
Magha 3, Monday, Saka 1938–January 23, 2017

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय और लेखा अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 23, 2017

जी.एस.आर.105 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय–समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 51 के सामने स्तंभ 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति " राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लि." के स्थान पर अभिव्यक्ति " राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लि., रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लि." प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) सामान्य शर्तों की शर्त संख्यांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित नई शर्त संख्यांक 4 जोड़ी जायेगी, अर्थात्;

"4. यदि माल, संकर्म या परामर्शी सेवाओं से भिन्न सेवाओं का उपापन पब्लिक सेक्टर उद्यम, जो राजस्थान सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यम

से भिन्न है, से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।"

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]
राज्यपाल के आदेश से,
नवीन महाजन,
शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(GENERAL FINANCIAL & ACCOUNTS RULES DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, January 23, 2017

G.S.R.105 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification;-

(i) In column 3 against serial number 51, of the table for the existing expression "Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.", the expression "Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Real Estate Development & Construction Corporation of Rajasthan Ltd." shall be substituted ; and

(ii) after the existing condition number 3 of General Conditions, the following new condition number 4 shall be added, namely:-

"4. In case, procurement of goods, works or services other than consultancy services is to be made from public sector

enterprise, which is other than public sector enterprise of Rajasthan Government, then, approval of the Finance Department shall be obtained before procurement."

[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
नवीन महाजन,
Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.